उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1708/ग्यारह-9(115)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(146)-2015

दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शकित का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

**संशोधन**

उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 13 की प्रविषिट में, अद्र्धविराम और शब्द '' ; बायोमास/बायोगैस से चालित इंजन एवं जनरेटिंग सेट तथा उनके पार्टस अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हरेन्द्र वीर सिंह

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in